न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 05/2015

सायल :– **बनाम** **गैरसायलः–**

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

सुरेशचन्द पुत्र ताराचन्द, जाति कलाल, निवासी 600 गांधीनगर पाली पुलिस थाना कोतवाली, जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल की ओर से बाबुलाल मेवाडा अधिवक्ता

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20.03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 30.09.2015 को गैरसायल श्री सुरेशचन्द पुत्र ताराचन्द, जाति कलाल, निवासी 600 गांधीनगर पाली पुलिस थाना कोतवाली, जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली का आपराधिक प्रवति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2000 से 2015 तक कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	थाना	मु.नं. /दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली पाली	449/14. 12.2000	441,323,427,336,भादस	20.11.2001 को एसीजेएम कोर्ट से बरी
2	कोतवाली पाली	03/30.01. 2002	452,323,379, भादस	19.07.2003 को एसीजेएम कोर्ट से राजीनामा
3	कोतवाली पाली	30/16.01. 2003	341,323/34 भादस	07.05.2004 को एसीजेएम कोर्ट से दोष मुक्त
4	कोतवाली पाली	346/19. 07.2005	341,323/34 भादस	29.06.2006 को सीजेएम कोर्ट से बरी
5	कोतवाली पाली	504/9.10. 2005	16/54 व 19/54 आब.अधि.	17.05.2012 को सीजेएम कोर्ट पाली से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त
6	आब. निरोधक दल पाली शहर	30/30.11. 2007	19/54 आब.अधि.	जैर ट्रायल
7	कोतवाली पाली	454/22. 09.2007	147,148,149,452,427,323,380, भादस	26.08.2008 को सीजेएम कोर्ट पालीसे राजीनामा
8	कोतवाली पाली	329/17. 08.2008	16/54 आब. अधि.	जैर ट्रायल
9	कोतवाली पाली	199/21. 05.2008	16/54, 19/54 आब. अधि.	जैर ट्रायल
10	कोतवाली पाली	104/19.3. 2010	341,325,323 भादस	30.07.2012 को सेशंन न्यायालय से राजीनामा
11	कोतवाली पाली	212/26. 05.2010	16/54,56(1)(2) आब. अधि.	जैर ट्रायल
12	कोतवाली	160/30.4.	143,353,332 भादस	जैर ट्रायल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

	पाली	2011		
13	कोतवाली पाली	569/17.10.2014	16/54 आब.अधि.	जैर ट्रायल
14	सदर पाली	52/25.03.2015	427,341,323/34 भादस	जैर ट्रायल
15	औ.क्षेत्र पाली	91/23.04.2015	341,323,327 भादस	जैर ट्रायल
16	सदर पाली	104/12.06.2015	19/54 आब.अधि.	जैर ट्रायल
17	कोतवाली पाली	445/15.09.2015	341,323,354, भादस व 3(1)(10)एससी/एसटी एक्ट	जैर तफतीश

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल श्री सुरेशचन्द पुत्र ताराचन्द, जाति कलाल, निवासी 600 गांधीनगर पाली पुलिस थाना कोतवाली, जिला पाली बदमाश झगडालु एवं शराब तस्करी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। तथा अन्य लोगो को भी शराब तस्करी के लिए प्रेरित करता है, एवं आदतन शराब तस्करी के धन्धे से लिप्त होने से आम जनता में भय व्याप्त है, लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद होने पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गयी। बाद तामिल गैरसायल मय वकील उपस्थित हुए। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अवैध शराब का धन्धा करता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल अवैध शराब का धन्धा नहीं करता है तथा न ही किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस द्वारा अपना टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से गैरसायल के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध श्रीमान जे एम नम्बर 2 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 50/2009 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 की धारा 16/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए तीन हजार रूपये के मुचलके पर एक वर्ष के लिए पाबंध अवधि तक परिशांति बनाये रखने एवं सदाचारी रहने एवं किसी अपराध की पुनरावृति नही करने हेतु पाबन्द किया। इसी प्रकार जे एम नम्बर 2 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 170/2009 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 की धारा 16/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रूपये के अर्थ दण्ड से 6 माह के लिए पाबंध अवधि तक परिशांति बनाये रखने एवं सदाचारी रहने एवं किसी अपराध की पुनरावृति नही करने हेतु पाबन्द किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(2)(ख)(iii) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर गैरसायल सुरेशचन्द पुत्र ताराचन्द, जाति कलाल, निवासी 600 गांधीनगर पाली पुलिस थाना कोतवाली, जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना **गुडा एन्दला** जिला पाली के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05.04.2018 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी गुडा एन्दला जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल सुरेश चन्द, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली गैरसायल सुरेशचन्द को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथी को पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी गुडा एन्दला उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली, पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली, पाली एवं थानाधिकारी गुडा एन्दला जिला पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक **20.03.2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली